रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270243
SG-DL-E-18022026-270243

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 462
No. 47]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947	[N. C. T. D. No. 462

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

[गृह रक्षक महानिदेशालय]

अधिसूचना

दिल्ली, 9 फरवरी, 2026

फा. सं. स्था0 3(156)/गृ0रक्ष0/2017/5342 /4833.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–840 के साथ पठित भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा स्टोर कीपर, गृह रक्षक दिल्ली के पद हेतु भर्ती नियम के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **स्टोर कीपर** के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–**

   i. इन भर्ती नियमों को गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टोर कीपर, भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

   ii. ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग** :— ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. **बचाव** :— इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	स्टोर कीपर
2.	**पदों की संख्या**	:	01* (2026) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह—'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—4 (रुपये 25,500—81,100/—)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18—25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप** :— आयु—सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18—27 वर्ष के बीच होगी।

7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्यः–** (i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित विभागों में स्टोर कीपर के रूप में 02 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव। **टीप 1**:– अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप 2**:– यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु–सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि (यदि कोई है)**	:	दो वर्ष **टीप** : सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए परिवीक्षा को पूर्ण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा **टीप** :– पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले तथा कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।)
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/आमेलन किया जाना है**	:	**प्रतिनियुक्ति** :– केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर–3 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित या समकक्ष; (ख) कॉलम संख्या 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले। **टीप 1** :– भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीप 2** :– प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति

			से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. महानिदेशक गृह रक्षक – **अध्यक्ष** 2. अपर/विशेष सचिव (गृह विभाग), दिल्ली सरकार– **सदस्य** 3. उप–सचिव (गृह विभाग), दिल्ली सरकार – **सदस्य** 4. उप–सचिव (सेवाएं विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** **टीप** :– यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नितिन पाणिग्राही, उप–सचिव (गृह)

HOME (GENERAL) DEPARTMENT
[DIRECTORATE GENERAL OF HOME GUARDS]
NOTIFICATION

Delhi, the 9th February, 2026

F.No.Estt.3(156)/HG/2017/5342/4833 **In exercise** of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification GSR-840 dated. 13th July, 1959 and in supersession of the Recruitment Rules for the post of Store Keeper Home Guards Delhi, except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of Recruitment for the post of **Store Keeper** in the Directorate General of Home Guards, Government of National Capital Territory of Delhi.

1. Short title and commencement:-

i. These Recruitment Rules may be called the Store Keeper Recruitment Rules, 2025 in the Directorate General of Home Guards, Government of NCT of Delhi.
ii. They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Application:-** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of Posts, classification and level in pay matrix:-** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in Column No. (2) to (4) of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said schedule.

5. **Disqualification:-** No person;

a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, Exempt any person from the operation of these Rules.

6. **Power to relax:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, in consultation with the Services Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi may relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:-** Nothing in these Rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special Categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**No. of the Post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale**	**Whether Selection or Non Selection**	**Age limit for direct recruitment**	**Educational and other qualifications for direct recruitment**
1	2	3	4	5	6	7
Store Keeper	01* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C" Non-Gazetted Non- Ministerial	Level-4 (Rs.25,500-81,100) in Pay Matrix.	Not Applicable	Between 18 to 25* years (The Upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.	**Essential:** 1. Pass in 12th Standard. 2. 2 years of practical experience as Store Keeper in a Central/State Government/ Union Territories departments. **Note-1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note-2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to

						Schedule Caste or Schedule Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age limit, educational qualifications prescribed for Direct recruitment will apply in case of promotes.	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment Whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation /transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by Promotion/Deputation/ Absorption grades from which promotion /deputation /transfer/absorption to be made**	**(If a DPC exists, what is its composition)**	**(Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment).**
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Two years **Note:** Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the Competent Authority for completion of probation.	By Direct Recruitment failing which by Deputation **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Government/UTs holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	**Deputation:-** Officials under the Central/ State Government/Union Territories :- A (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With 5 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-3 or equivalent in the parent cadre or department, B. Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column no.7 **Note-1**: The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration appointment for on deputation. Similarly,	**Group 'C' DCC (for considering confirmation) :** 1. Director General Home Guard - **Chairperson** 2. Additional/Special Secretary (Home Department) Delhi Govt.-**Member** 3. Deputy Secretary (Home Department) Delhi Govt.-**Member** 4. Deputy Secretary (Services Department) GNCTD-**Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	Consultation with UPSC is not necessary.

		(The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.)	the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note-2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years on the closing date of the receipt of applications.		

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

NITIN PANIGRAHI, Dy. Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.18 12:28:46 +05'30'